समाहरणालय शिवहर

(कल्याण प्रशाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 4323 दिनांक 07.06.2016 के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अम्बेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, शिवहर हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति किया जाना है। जिसके लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सीलबन्द निविदा जिला कल्याण शाखा, शिवहर में सूचना प्रकाशन की तिथि से 11:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक प्रत्येक कार्य दिवस में आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा दाताओं को मो0 15000.00 (पन्द्रह हजार) रुपयें जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रुप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर के पक्ष में भुगतेय हो। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 28.09.2016 के 12:00 बजे पूर्वाह्न तक होगी।
2. उप विकास आयुक्त, शिवहर के अध्यक्षता मे गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा दिनांक 28.09.2016 के 03:00 बजे अपराह्न में खोली जायगी, जिसमें निविदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची जिला कल्याण कार्यालय शिवहर में निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्यदिवस को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 तक देखी जा सकती है।

निविदा की शर्ते :–

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा (TECHNICAL AN FINIANCIAL) अलग–अलग शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे में ली जायगी।
2. तकनिकी निविदा के साथ पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी दाखिले करने का साक्ष्य, बिक्रीकर का निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र एवं अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. तकनिकि निविदा के साथ निर्धारित जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनिकी निविदा में सफल निविदाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायगी।
5. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर एवं परिवहन व्यय शमिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रुप से अंकित करना आवश्यक है। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभरराईटिंग मान्य नहीं होगा।
6. निविदा में अंकित दर के विरुद्ध आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के नमूना के साथ निविदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रहेंगे, ताकि उच्च गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर वाले को प्राथमिकता दी जा सकें।

885

7. सामग्री की आपूर्ति करने के उपरान्त विधिवत् प्राप्ति रसीद समर्पित करने के पश्चात् भुगतेय राशि का भुगतान किया जायगा। किसी प्रकार का अग्रिम एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
8. निविदा स्वीकृति के पश्चात् संबंधित सफल आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा, आपूर्ति आदेश के एक पक्ष के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरुप उचित संख्या, साईज, गुणवर्त्ता, मात्रा के अनुसार सामग्री की आपूर्ति निश्चित रुप से कर देंगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरुद्ध कानून की सूसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी।
9. स्वीकृत किए गए सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने एवं आपूर्ति की गई सामग्रियों में गुणवत्ता तथा किसी प्रकार त्रुटी पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता पर कानूनी कार्रवाई की जायगी एवं भुगतान नहीं किया जायगा।
10. स्वीकृत निविदाताओं को छोड़कर शेष निविदाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायगी।
11. अंकित सामग्री/विशिष्टी के अतिरिक्त अपने से किसी प्रकार का अन्य सामग्री का दर न भरे।
12. कोई भी निविदा या दावा शिवहर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधनी होगा। विशेष जानकारी के लिए जिला कल्याण प्रशाखा, शिवहर से संपर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिए बेबसाईट **http/sheohar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।
13. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायगी।
14. आपूर्ति सामग्रि के गुणवर्त्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात् अनुमान्य बिक्रीकर एवं आयकर तथा अन्य अनुमान्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायगा।
15. निविदाता अथवा संबंधित फर्म को इस आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हें किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया हो।
16. अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलंब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
17. स्वीकृत निविदाता को कार्यादेष मिलने के पश्चात् या भुगतान के पूर्व वाणिज्यकर विभाग/आयकर विभाग को स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
18. बिना कारण बताये निविदा रदद करने एवं ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर निर्धारित दर पर अन्य निविदाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लिया जा सकता है।

14/9/16

जिला कल्याण पदाधिकारी,
शिवहर।
14.9.16

14-09-16
उप विकास आयुक्त,
शिवहर।

886